

अलय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्डेला

नाम वगैरे बनाम सहायक अभियन्ता AVYNL कांक्ट
 क्रमा प्रापत्र टी. आई. मुकदमा नं. 105 सन् 20

सं	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तारीख में जारी हुए
9/5	<p>वकील प्रार्थीगण श्री सुनील पारीक ने हाजिर अदालत होकर प्रापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया। प्रापत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। वकील प्रार्थी ने प्रापत्र बाबत नियुक्ति मौका कमीश्नर पेश किया। प्रापत्र पर बहान वकील प्रार्थीगण सुनी गई जिस पर सगौर मनन से प्रस्तुत प्रकरण में मौके की वर्तमान भौतिक स्थिति मंगवाया जान न्याय-संगत प्रतीत होता है।</p> <p>अतः श्री वसन्त कुमार वर्मा को प्रस्तुत प्रकरण में मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप विवादग्रस्त आराजी खं नं 3175 ता 3177 रकबा 6.26 हैं। तन ग्राम कांक्ट का उभय पक्षकारान की श्रुति करते हुए उनकी उपस्थिति में विद्युत कनेक्शन बाबत वर्तमान मौका रिपोर्ट तैयार करें साथ ही उक्त विद्युत कनेक्शन बाबत आत-पास में उपलब्ध अन्य वैकल्पिक ट्रांसफार्मर की भी रिपोर्ट करें। मौका रिपोर्ट आगामी तारीख पेशी से पूर्व न्यायालय में आवश्यक रूप से जमा करवाये। मौका निरीक्षण कीत 800रुपये शब्दे आठ जौ रूपये मात्र प्रार्थीगण से वसूल कर प्राप्ति समीप मय मौका रिपोर्ट न्यायालय में जमा करवाये।</p> <p>रथगान पर बहान वकील प्रार्थीगण एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया जिनके अवलोकन से एवं बहान वकील प्रार्थीगण पर सगौर मनन से प्रस्तुत प्रकरण</p>	

